

बजट – महत्वपूर्ण

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
महानदी भवन
:: मंत्रालय, नया रायपुर ::

क्रमांक ०१ /एल ६-१/२०१३/ब-४/चार/

रायपुर, दिनांक : ०१/०४/२०१३

प्रति,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर
समस्त विभागाध्यक्ष

विषय :- वर्ष 2013-14 के बजट आवंटन की संसूचना ।

वर्ष 2013-14 के बजट अनुमान से संबंधित विनियोग विधेयक, 2013 पर माननीय राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो गई है। बजट पुस्तिकाएं विभागों को पृथक से भेजी गयी है तथा वित्त विभाग की वेबसाइट <http://finance.cg.gov.in> पर भी उपलब्ध है। वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए विभागों से संबंधित मतदेय एवं भारित व्यय की आवंटित राशि के ब्यौरे संलग्न प्रपत्र में दर्शाये गए हैं। अब बजट नियंत्रक अधिकारियों द्वारा अधीनस्थ आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को तत्काल बजट आवंटन जारी करने के लिए निम्नानुसार कार्यवाही की जाए :-

1.2 वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक 166/एल-२-२/२०१२/ब-४/चार दिनांक 16/५/२०१२ (वित्त निर्देश क्रमांक 30/२०१२) द्वारा शासकीय व्यय में गुणवत्ता के उद्देश्य से Cash Management System लागू करने बाबत निर्देश जारी किए गए हैं। सारांश में इसका उद्देश्य यह है कि वित्तीय वर्ष में बजट में समुचित उपयोग के लिए विभागों द्वारा कार्ययोजना तैयार की जाए तथा वर्ष के दौरान व्यय इस प्रकार नियंत्रित किया जाए कि अंतिम तिमाही में व्यय का आधिक्य (rush of expenditure) न हो। इस उद्देश्य से वित्तीय वर्ष में व्यय की निम्नानुसार सीमा निर्धारित की गई है :-

- 1.2.1 विभागों को वित्तीय वर्ष की प्रथम छमाही में कुल बजट प्रावधान का 45 प्रतिशत व्यय करना होगा। निर्माण विभागों (लोक निर्माण, जल संसाधन एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग) तथा वन विभाग के लिए यह सीमा 35 प्रतिशत होगी।
- 1.2.2 द्वितीय छमाही में कुल बजट प्रावधान का 55 प्रतिशत व्यय किया जाएगा। निर्माण विभागों तथा वन विभाग के लिए यह सीमा 65 प्रतिशत होगी।
- 1.2.3 वित्तीय वर्ष के अंतिम माह अर्थात् मार्च में व्यय की अधिकतम सीमा कुल बजट प्रावधान का 20 प्रतिशत तक होगी।
- 1.2.4 आवश्यकता होने पर विभाग द्वारा प्रथम छमाही में निर्धारित सीमा से अधिक परंतु 60 प्रतिशत की सीमा तक व्यय किया जा सकेगा।

- 1.2.5 प्रथम छमाही में निर्धारित सीमा से कम व्यय करने की स्थिति में बचत राशि का 50 प्रतिशत, द्वितीय छमाही में व्यय के लिए अग्रेषित (carry forward) की जा सकेगी जिसका उपयोग तृतीय तिमाही में करना अनिवार्य होगा। इसके लिए विभागों को निर्धारित सीमा से कम व्यय का औचित्य स्पष्ट करते हुए वित्त विभाग से सहमति प्राप्त करनी होगी। बचत की शेष 50 प्रतिशत राशि आवश्यकता के आधार पर अन्य विभागों को आबंटित की जाएगी।
- 1.2.6 कतिपय केन्द्रीय योजनाओं में अंतिम किस्त मार्च के महिने में प्राप्त होती है। अतः ऐसे प्रकरणों में कंडिका 1.2.3 में वित्तीय वर्ष के अंतिम माह में व्यय के लिए निर्धारित सीमा लागू नहीं होगी।

2. बजट आवंटन की प्रक्रिया –

आयोजना मद् :-

उपर्युक्त निर्देश के अनुरूप विभागीय बजट नियंत्रक अधिकारियों द्वारा अधीनस्थ आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को निर्धारित समय-सीमा में निम्नानुसार बजट आवंटन जारी किया जाए :–

- 2.1 वित्तीय वर्ष की प्रथम छमाही (अप्रैल–सितम्बर, 2013) के लिए निर्माण विभाग तथा वन विभाग द्वारा कुल बजट प्रावधान का 35 प्रतिशत तथा अन्य विभागों द्वारा 45 प्रतिशत सीमा तक आबंटन जारी किया जाए। संचालनालय, कोष, लेखा एवं पेंशन के मुख्य सर्वर में इस आशय की नियंत्रण (check) रहेगा कि उपरोक्तानुसार निर्धारित सीमा से अधिक आवंटन जारी नहीं हो सके। यदि किसी विभाग को उपर्युक्त सीमा से अधिक एवं 60 प्रतिशत की सीमा तक बजटीय राशि का उपयोग किया जाना है, तो वे इस संबंध में औचित्यपूर्ण प्रस्ताव वित्त विभाग को पृथक से प्रेषित करें, ताकि वित्तीय संसाधन की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए मुख्य सर्वर में आवंटन की सीमा शिथिल की जा सके।
- 2.2 उद्देश्य शीर्ष 01 (वेतन भत्ते), 02 (मजदूरी), 04 (कार्यालय व्यय) के विस्तृत शीर्ष 001 (डाक कार्य पर व्यय), 002 (दूरभाष पर व्यय) एवं 005 (बिजली एवं जल प्रभार) पर छमाही वितरण का प्रतिबंध लागू नहीं होगा।
- 2.3 द्वितीय छमाही (अक्टूबर–मार्च, 2014) तक के लिए आवंटन, प्रथम छमाही के वास्तविक व्यय के आधार पर माह अक्टूबर, 2013 में विमुक्त किया जाएगा।
- 2.4 **Cash Management System** के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सभी विभागाध्यक्ष (बजट नियंत्रक अधिकारी) कृपया यह सुनिश्चित करें कि उनके अधीनस्थ आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को आगामी छमाह के लिए बजट आवंटन अनिवार्यतः दिनांक 15/04/2013 तक मुख्य सर्वर में अपलोड कर दिए जाएं। इस हेतु यह व्यवस्था की गई है कि दिनांक 15/04/2013 के पश्चात् मुख्य सर्वर स्वतः लॉक हो जाए एवं इसके पश्चात् किए जाने वाले बजट आवंटन हेतु वित्त विभाग से अनुमति प्राप्त करनी होगी एवं इसकी जानकारी समन्वय में माननीय मुख्यमंत्री जी के ध्यान में लायी जाएगी।

2.5 ई-वर्कस लागू हो जाने से अब साख पत्र की आवश्यकता/प्रासंगिकता नहीं रह गई है। अतः चालू वित्तीय वर्ष से निर्माण विभागों तथा बन विभाग के लिए लागू साख पत्र व्यवस्था को समाप्त किया जा रहा है। लेकिन नवीन व्यवस्था के अंतर्गत संबंधित बजट नियंत्रण अधिकारियों को निर्धारित समय-सीमा (15 अप्रैल, 2013) तक मुख्य सर्वर में अपने अधीनस्थ आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के लिए बजट आवंटन की प्रविष्टि अपलोड करना होगा। इस संबंध में पृथक से निर्देश जारी किए जा रहे हैं।

2.6 अधीनस्थ कार्यालयों को बजट आबंटित करते समय बजट नियंत्रण अधिकारियों द्वारा इस विभाग के निर्देशों के अनुसार जिला मुख्यालय एवं दूरस्थ अंचलों में पदस्थ शासकीय कर्मचारियों के लिए चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लिए समुचित धनराशि आबंटित की जाए।

2.7 मांग संख्या 15, 41, 42, 53, 64, 68, 82 एवं 83 के अधीन प्रावधानित राशि का आबंटन आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा इस ज्ञापन में निर्धारित शर्तों के अधीन दिया जाएगा।

आयोजनेत्तर मद् :-

2.8 आयोजनेत्तर मद् के आवंटन हेतु उपर्युक्त कंडिका 2.1 से 2.4 तक के निर्देश लागू नहीं होंगे। इस हेतु बजट नियंत्रण अधिकारी आवश्यकतानुरूप आवंटन जारी कर सकेंगे।

3. बजट आवंटन का उपयोग –

3.1 आबंटनों के विरुद्ध व्यय, वित्तीय अधिकारों का प्रत्यायोजन पुस्तिका के भाग 'एक' एवं 'दो' में दिये गये अधिकारों के अन्तर्गत किया जाये। जिन प्रकरणों में वित्त विभाग की सहमति/स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है, वित्तीय स्वीकृति जारी करने से पूर्व नस्ती वित्त विभाग को भेजी जाए।

3.2 किसी भी हालत में अतिरिक्त आबंटन की प्रत्याशा में बजट आबंटन से अधिक व्यय नहीं किया जाएगा।

3.3 निर्माण कार्य विभागों के बजट में "डिपाजिट मद्" में रखी गयी राशि का आबंटन, व्यय एवं वर्षान्त से पूर्व समायोजन, वित्त विभाग के निर्देशों के अनुसार किया जाएगा।

3.4 नाबार्ड पोषित योजनाओं में नाबार्ड की स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त ही योजनाओं में व्यय किया जाएगा।

3.5 कई मदों में व्यय का प्रावधान इस आधार पर रखा गया है कि उसकी अनुपातिक राशि संस्थागत वित्तीय संस्थाओं अथवा भारत सरकार से प्राप्त होगी। ऐसे प्रकरण जैसे – केन्द्र क्षेत्रीय योजना, केन्द्र प्रवर्तित योजना तथा अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता राशि, में सहायता राशि राज्य शासन के खाते में जमा होने के बाद ही व्यय की जाएगी।

- 3.5.1 राज्य शासन को सहायता राशि की प्राप्ति की पुष्टि वित्त विभाग की वेबसाइट <http://finance.cg.gov.in> से कराने का उत्तरदायित्व विभाग प्रमुख का होगा।
- 3.5.2 जिन प्रकरणों में व्यय की प्रतिपूर्ति के आधार पर सहायता प्राप्त होती है (जैसे – RIDF ऋण, ADB ऋण), में व्यय की प्रतिपूर्ति 2 माह के अंदर सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी विभागाध्यक्ष की होगी।
- 3.5.3 ऐसे प्रकरण जो राज्य शासन द्वारा किसी अन्य संस्था/व्यक्ति को ऋण देने से संबंधित है, में राशि वित्त विभाग की पूर्व स्वीकृति के बिना जारी नहीं की जाएगी (मुख्य शीर्ष 6000 से 7998 तक – शासकीय सेवकों को दिये जाने वाले अग्रिम को छोड़कर)। ऐसे प्रकरणों में विभाग द्वारा ऋण की शर्तें, जिसमें ब्याज की दर, भुगतान की अवधि, मोरेटोरियम की अवधि सम्मिलित है, के प्रस्ताव पर वित्त विभाग की सहमति प्राप्त करने के उपरांत ही राशि जारी तथा आहरण की कार्यवाही की जाए। विभागाध्यक्ष इसके लेखे व वसूली की पंजी संधारित करने के लिए उत्तरदायी होंगे।
- 3.5.4 जिन प्रकरणों में अनुदान बाबत् प्रावधान का आधार विभिन्न राजस्व की प्राप्ति हो, उनमें अनुदान के विमुक्तिकरण से पूर्व वित्त विभाग से राजस्व प्राप्ति की पुष्टि करा ली जाये।
- 3.5.5 कतिपय विभागों को पंचायत तथा नगरीय संस्थाओं को अनुदान स्वीकृत करने हेतु आबंटन सौंपे जा रहे हैं। उन प्रकरणों में पंचायत/नगरीय निकायों के माध्यम से कराये जाने वाले कार्यों के लिये उन्हें आबंटन आदि समय पर देने का दायित्व संबंधित विभाग का होगा।
- 3.5.6 व्यय करते समय शासन के मितव्ययता संबंधी समय–समय पर जारी आदेशों का कड़ाई से पालन किया जाए।

4. कृपया उपरोक्त निर्देशों के अनुरूप बजट में प्रावधानित राशि का आवंटन सुनिश्चित कराएं।

संलग्न – उपरोक्तानुसार


(डी.एस. मिश्र)
अपर मुख्य सचिव
वित्त एवं योजना विभाग

प्रतिलिपि :-

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर
2. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय
3. सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, रायपुर
4. रजिस्ट्रार जनरल/महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
5. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग/मानवाधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/लोक आयोग, रायपुर
6. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री/राज्यमंत्री, छत्तीसगढ़, रायपुर
7. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर
8. मुख्य सचिव के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, रायपुर
9. अपर मुख्य सचिव वित्त के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, रायपुर
10. समस्त संभागायुक्त, छत्तीसगढ़
11. आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय, रायपुर
12. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली
13. राज्य सूचना आयुक्त, निर्मल छाया भवन, शंकर नगर, रायपुर
14. समस्त सचिव/विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव/शोध अधिकारी/विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय, रायपुर
15. आयुक्त, कोषलेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, रायपुर
16. समस्त जिलाध्यक्ष, छत्तीसगढ़
17. मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, रायपुर
18. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोषलेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़
19. समस्त कोषालय अधिकारी, जिला/सिटी कोषालय, छत्तीसगढ़
20. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, रायपुर/बिलासपुर, छत्तीसगढ़
21. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर
22. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, छत्तीसगढ़
23. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, रायपुर को वित्त विभाग की बेबसाइट www.cgfinance.nic.in में अपलोड करने हेतु।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


(शहला निंगार)
संचालक बजट एवं संयुक्त सचिव
वित्त विभाग